No.13007/1/2020-NGE-CGA/ 633
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS
MAHALEKHA NIYANTRAK BHAWAN
GPO COMPLEX, BLOCK-E, INA
NEW DELHI-110023

Dated: 3, May, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Notification of the Central Civil Accounts Service (Private Secretary) Group 'B' post, Recruitment Rules 2023 - reg.

I am directed to state that the "Central Civil Accounts Service (Private Secretary) Group 'B' post, Recruitment Rules 2023" have been published in "The Gazette of India: Extraordinary" bearing G.S.R 312(E) and came into force with effect from the date of publication of these Recruitment Rules. A copy of notification is circulated herewith for information to all stakeholders.

03/05/2023
(C K Salwan)
Sr. Accounts Officer(HR-4)

Encl.: As above.

To,

1. The Pr.CCAs/CCAs/CAs.
2. Jt.CGA (Admn.), O/o the CGA.
3. CFC, Civil Aviation & Tourism / CC (Pensions) / Director (INGAF).

Copy to:-

1. The U.S. (Ad.I), Department of Expenditure, Ministry of Finance for information.
2. The Sr.AO, ITD Section with request to upload on CGA's website.

https://www.staffnews.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042023-245397
CG-DL-E-25042023-245397

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2023/वैशाख 5, 1945
No. 250] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2023/VAISAKHA 5, 1945

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)
(महालेखा नियंत्रक)
अधिसूचना

नई दिल्ली. 24 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 312(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (निजी सचिव) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विर्निष्ट हैं।

4. भारत के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व – (1) निजी सचिव भारत के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए बाध्य होगा।

https://www.staffnews.in

(2) महालेखा नियंत्रक, यदि इस बात पर सहमत हैं कि यदि ऐसा करना आवश्यक है अथवा जनहित में उचित है तो, आदेश के द्वारा, और लिखित में कारण दर्ज कराते हुए, अधिकारी के अनुरोध पर उसी श्रेणी में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में निजी सचिव का स्थानंतारण कर सकते हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीथ विधि के अधीन अनज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिशिल कर सकेगी।

7. व्यावृति: इन नियमों को कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछ्ड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
निजी सचिव	37* (2022)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	*साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसचिवीय, राजपत्रित

मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर-7 (रु 44900-142400/-)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण अथवा आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति:** स्तर – 6 (रु 35400 -112400/-) वेतन मैट्रिक्स में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-। जिसने इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की

https://www.staffnews.in

	गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्र सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंन अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जिन्होंने आशुलिपिक का पद धारण किया हैं (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रू 35400 - 112400/-) में आशुलिपिक ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** इस नियुक्ति से ठीक पहले इसी अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसका संघटन क्या होगा।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) संयुक्त महालेखा नियंत्रक-अध्यक्ष; (2) मुख्य लेखा नियंत्रक अथवा लेखा नियंत्रक - सदस्य; और (3) मुख्य लेखा नियंत्रक अथवा लेखा नियंत्रक – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एनजीई-13007/1/2020-एनजीई-सीजीए]

शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2023

GSR. 312(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Private Secretary) Recruitment Rules, 2002 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Central Civil Accounts Service, namely:-

https://www.staffnews.in

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Private Secretary) Group 'B' post, Recruitment Rules, 2023**.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Liability for service in any part of India.— (1) The Private Secretary shall be liable to serve in any part of India.

(2) The Controller General of Accounts may, if satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing, transfer the Private Secretary on request by officer from one Ministry to the other in the same grade. The transfer of the Private Secretary in such cases shall not affect his or her seniority in his or her grade.

5. Disqualification.— No person,**—**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Private Secretary.	37*(2022) *subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B'. Ministerial, Gazetted.

Level in pay matrix.	Whether selection or Non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level-7 (Rs.44900-142400/-).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

https://www.staffnews.in

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or transfer or absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Stenographer Grade I in the level-6 (Rs. 35400 - 112400/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** (a) Officers holding the post of Stenographer under the Central Government (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the Stenographers grade in the level-6 (Rs. 35400 - 112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition thereof.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Joint Controller General of Accounts – Chairman; (2) Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts – Member; and (3) Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. NGE-13007/1/2020-NGE-CGA]

SHAILENDRA KUMAR, Jt. Controller General of Accounts

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

https://www.staffnews.in